XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 2472—एक/15 जिला — जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा यह अपील कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 365/अ—21/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 20—7—15 से परिवेदित म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2— अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम छिवलहा प.ह.नं. 26/16 स्थित भूमि खसरा नं. 202 रकबा 0.121 एवं खसरा नं. 2.3 रकबा 0.421 कुल 0.543 हैक्टर भूमि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को विकय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया । जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यह मानकर की आवेदक तामीली उपरांत अनुपस्थित है प्रकरण को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 18—5—15 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को पुर्नस्थापित किए जाने हेत प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । मेरे उक्त सूचनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सूचनापत्र की प्राप्ति पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है किसी अन्य व्यक्ति (कुलेन्द्र सिंह) के हस्ताक्षर हैं, यह व्यक्ति कौन है इसका उल्लेख सूचनापत्र	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 2472–एक / 15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । 3– केता द्वारा विकयपत्र प्रस्तुत करने पर विकय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । 4– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	

जगदीश प्रसाद गौड पुत्र श्री रामादीन गौड
निवासी मकान नं. 68 राजीव गांधी वार्ड
केन्ट तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

..... अपीलार्थी

<u>विरूद्ध</u>

1. अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री अवधेश प्रताप सिंह
   निवासी सिंह निवासी एस.एफ. 87 सुखसागर,
   बैली ग्वारी घाट पुरानी बस्ती
   तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

2. हरिराम पटेल पुत्र मुन्नालाल पटेल
   निवासी रेतनामा के पास, ग्वारीघाट
   बस्ती जबलपुर

3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
   जिला जबलपुर

.... प्रत्यर्थीगण

श्री अमित मिश्रा अधि. द्वारा दिनांक 28.7.15 को कमि. जबलपुर में प्रस्तुत
28.7.15

A. Mishra
Amit Kumar Mishra (Adv.)

न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 365/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-7-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।